एस.सी.एन.आई.ए. क्रमांक 26 / 2022
शिवराज विरूद्ध मांगीलाल।

08.02.2024

परिवादी द्वारा श्री संदेश अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट तामील/अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन आरोप विचाराधीन है तथा अभियुक्त दिनांक 20.12.2023 को बचाव साक्ष्य के प्रक्रम पर अनुपस्थित हुआ है। तत्पश्चात् प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति बाबत् निरंतर वारंट जारी किये जा रहे हैं किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तब यह दर्शित होता है कि अभियुक्त जान बूझकर अपनी उपस्थिति छिपा रहा है, जबकि उसे स्वयं के विरूद्ध विचारण लंबित होने के तथ्य का भलीभांति ज्ञान है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय को इस बात का समाधान होता है कि अभियुक्त मांगीलाल फरार हो गया है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है।

अतः **अभियुक्त मांगीलाल पुत्र रामनारायण राणा** की उपस्थिति सुनिश्चत करने के लिए उनके विरूद्ध स्थायी गिरफतारी वारंट, धारा 70(2) सहपठित धारा 299 द0प्र0सं0 के प्रावधानो के अनुसार जारी किया जावे। जारी वारंट उस समय तक प्रर्वतन मे रहेगा जब तक कि जारी करने वाले न्यायालय द्वारा उन्हे रद्द नही कर दिया जाता या जब तक कि वारंट निष्पादित नहीं कर दिया जाता।

अभियुक्त के स्थाई वारंट की प्राप्ति आदेश पत्रिका के हासिये पर ली जाकर संबंधित आरक्षी केन्द्र से उक्त वारंट का आवक नंबर मंगाया जाये।

अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होने तक प्रकरण सुरक्षार्थ अभिलेखागार भेजा जावें।

सही/—
(श्रीमती आकांक्षा कत्याल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चॉचौडा जिला गुना (म0प्र0)